महत्वपूर्ण

संख्या:- 28/2017/2731/86-2017-57(सामान्य)/2017

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ दिनांकः 16 अक्टूबर, 2017

विषयः उपखानिजों के मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनन पट्टा क्षेत्र पर विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (43वॉ संशोधन) के माध्यम से उपखनिजों के विक्रय मूल्य प्रदर्शित करने हेतु नियमावली के नियम-41'ज(2)' में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-

41ज (2) "जहॉ ई एम0एम0-11/एम0एम0-11 जारी किया है, वहॉ पट्टेदार/अनुज्ञा पत्रधारक विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा।"

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की राय में अधिकतम विक्रय मूल्य की दर नियत की जानी हो तो परिहार धारक को निर्देशित किया जा सकता है।

2. पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा उपखनिजों के परिवहन की निगरानी सम्बन्धी उक्त प्राविधानों का उल्लघंन किये जाने की दशा में शास्ति आरोपण हेतु नियमावली के नियम-59 के उपनियम-(4) में निम्नवत् प्राविधान भी किया गया है:-

नियम-59(4) "नियम-41(ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जल धारा मे सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंधन करता पाया जाता है तो प्रत्येक अवसर पर 05 लाख रूपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से कटौती की जायेगी।"

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपखनिज के विक्रय मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पट्टाधारकों/अनुज्ञा-पत्र धारकों को खनन स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से उपखनिज का विक्रय मूल्य नियमित रूप से प्रदर्शित करने हेतु अपने स्तर से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करे। मुझे यह भी कहना है कि उक्त निर्देशों को उल्लघंन किए जाने की दशा में सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 2731(1)/86-2017, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।